बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 520 /अकादमी/संबंद्धता/2021 भोपाल, दिनांक 27/4/2021

संशोधित अधिसूचना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु सत्र2021. 2022 की **स्थाई**/अस्थाई संबद्धता/ **नवीनीकरण** /पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता / सीट संख्या में वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उप्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता प्राप्त करने हेतु म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल / केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करने हेतु पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक 454/अकादमी/संबद्धता/2021 दिनांक 30.03.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्धारित अंतिम तिथियों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

क्र.	समस्त पाठ्यक्रम/संकाय/सामान्य/व्यावसायिक	निर्धारित अंतिम तिथियां
1	नवीन शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय, नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु	20-5-2021
2	शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित समस्त संकाय/ पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता हेतु आवेदन संकाय-कला, वाणिज्य, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंध एवं अन्य समस्त सामान्य/व्यावसायिक पाठ्यक्रम	20-5-2021

NOTE :-

1. **विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.08.2019 के निर्णयानुसार निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदनों पर 50% अधिभार लिया जावेगा। समस्त मूल शुल्क पर 18% GSTअतिरिक्त देय होगा।**
1 **महाविद्यालय MP-Onlineके माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात, पांच दिवस के अन्दर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A)मय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजोको तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य /संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।**
2. नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय /संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।
   आनलाईन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई संबद्धता/स्थाई संबद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी।
   केवल आनलाईन आवेदन ही स्वीकार किए जावेंगे।
3. **महाविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bu bhopal.ac.inपर प्रदर्शित किया किया गया है। शुल्क संबधी पत्रों का महाविद्यालयों द्वारा प्रतिक्षा नहीं की जावे।**
4. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि (लॉ) पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / निरंतरता आदेश के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता / संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
5. **उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि(लॉ) पाठ्यक्रमों हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/निरंतरता आदेश के पश्चात 07 दिवस में संबंधित महाविद्यालय में निरंतरता/संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।**

कुलसचिव

पृ. क्र. 521 /अकादमी/संबद्धता/2021 भोपाल, दिनांक 27/04/2021

प्रतिलिपि :

1-बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डीन की ओर पालनार्थ।
2-राज्यपाल के अवर सचित राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3-अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4-आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5-क्षेत्रिय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद श्यामला हिल्स मानस भवन, भोपाल
6-संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
7- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
8- कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
9-वेबसाईट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को बेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10- संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव, अकादमी